फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

राजेराम आदि बनाम तिलोकचन्द आदि

प्रकरण संख्या 75 / 2024

किस्म मुकदमा : **212 आर.टी. एक्ट**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
24.04.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जरिये वकील प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । हमने वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या 1 आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता संख्या 130 / 117 की कुल 13.5820 हैक्ट भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान न करे। उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण जरिये सम्मन जारी होकर दिनांक 31.05.2024 को पेश हो । Sd/- उपखण्ड अधिकारी नोहर	
31.5.24	वकील सायल उपस्थित। गैरसायल की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन पेश नहीं। पत्रावली दिनांक 2/7/24 को पेश हो। Sd/-	
14.6.24	वकील सायल के निवेदन पर पत्रावली पेश हुई। वकील सायल / सायल ने निवेदन किया कि दोनों पक्षकारों का आपस में राजीनामा हो गया है इसलिए प्रा. पत्र नहीं चलाना चाहते, खारिज फरमावें। सायल [illegible] द्वारा अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाने के कारण खारिज किया जाता है [illegible] हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी नोहर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:55:57 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील